संख्याः 1063 /XVII(4)/2022-05(01)2022

प्रेषक,

हरि चन्द्र सेमवाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग–1, देहरादूनः दिनांक 13 जुलाई, 2022

विषयः–आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार योजना के अन्तर्गत समय–समय पर जारी शासनादेशों में संशोधन करने विषयक।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1265/आ0बा0कार्य0पुर0/2022–23 दिनांक 11.07.2022 में किये गये अनुरोध के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार योजना हेतु समय–समय पर निर्गत शासनादेशों को अवक्रमित/निरसित करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार योजना के चयन हेतु सम्यक् विचारोपरान्त सामान्य दिशानिर्देश निम्नवत् निर्धारित किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

(1) जनपद स्तरीय चयन समिति–

1. मुख्य विकास अधिकारी	अध्यक्ष
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी/नामित प्रतिनिधि	सदस्य
3. मुख्य शिक्षा अधिकारी/नामित प्रतिनिधि	सदस्य
4. जिला क्रीड़ा/खेलकूद अधिकारी,	सदस्य
5. जिला कार्यक्रम अधिकारी	सदस्य सचिव
6. जनपद के दो वरिष्ठतम बाल विकास परियोजना अधिकारी	सदस्य

(2) राज्य स्तरीय चयन समिति

1. प्रमुख सचिव/सचिव महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	अध्यक्ष
2. निदेशक, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।	सदस्य सचिव
3. संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनुसचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
4. निदेशक, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा निदेशालय/जिला स्तर से नामित दो अधिकारी।	सदस्य

Scanned by CamScanner

(3) पुरस्कार के नामांकन हेतु अनिवार्य अर्हतायें:–

1. आंगनवाड़ी कार्यकर्ती/मिनी कार्यकर्ती के रूप में पॉच वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो, तथा वर्तमान में इस रूप में कार्यरत हों। (सी.डी.पी.ओ. द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र)
2. ऐसे आंगनवाड़ी केन्द्र/मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र का संचालन करती हो जहाँ सर्वे के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 3 से 6 वर्ष के न्यूनतम 08 एवं शहरी क्षेत्रों मे न्यूनतम 18 बच्चें पंजीकृत हो। (क्षेत्रीय सुपरवाइजर द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र)
3. सम्बन्धित आंगनवाड़ी केन्द्र/मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र के समस्त लाभार्थी पोषण ट्रेकर एप में पंजीकृत हो (क्षेत्रीय सुपरवाइजर द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र)
4. सम्बन्धित आंगनवाड़ी केन्द्र/मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र के समस्त बच्चों की प्रतिरक्षण दर राज्य स्तरीय सम्पूर्ण प्रतिरक्षण दर से कम न हो। राज्य स्तरीय प्रतिरक्षण दर स्वास्थ्य विभाग/प्रचलित NFHS की रिपोर्ट के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

(4) पुरस्कार की संख्या एवं चयन : राज्य में विभाग के अन्तर्गत संचालित 105 बाल विकास परियोजनाओ के सापेक्ष एक तिहाई परियोजनाओ अर्थात उन 35 परियोजनाओ से जिनमें किसी एक अभ्यर्थी द्वारा सर्वाधिक अंक प्राप्त किये गये है का चयन किया जायेगा। यदि उन परियोजना में 02 अभ्यर्थियों के एक समान अंक होते है तो जिसकी सेवा अवधि अधिक होगी, उसको पुरस्कार हेतु चयनित किया जाएगा। समान सेवावधि होने की स्थिति में जन्म तिथि के आधार पर सर्वाधिक आयु प्राप्त अभ्यर्थी का चयन किया जायेगा। किसी वर्ष में जिन परियोजनाओं से आंगनवाड़ी पुरस्कार हेतु अभ्यर्थी का चयन किया जा चुका है उन परियोजनाओं से आगामी 02 वर्षो तक आवेदन आमंत्रित नही किये जायेगें।

इस प्रक्रिया के कियान्वयन हेतु निम्नानुसार आर्वतन (रोटेशन) तालिका निर्धारित की गई है, जिसके आधार पर जनपद के स्वीकृत परियोजनाओं के सापेक्ष 1/3 (33 प्रतिशत) परियोजनाओं से पुरस्कार हेतु पात्र अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। यह रोटेशन तालिका की क्रमबद्धता आगामी वर्षो में भी जारी रहेगी :–

आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार हेतु वर्षवार आर्वतन (रोटेशन) तालिका

क्र0सं0	जनपद	परियोजना की संख्या	आगामी तीन वर्ष हेतु चयनित परियोजनाओं की संख्या		
			प्रथम वर्ष हेतु	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष
1	हरिद्वार	11	4	4	3
2	देहरादून	07	3	2	2
3	पौड़ी	15	5	5	5
4	चमोली	09	3	3	3
5	रूद्रप्रयाग	03	1	1	1
6	उत्तरकाशी	06	2	2	2
7	टिहरी	09	3	3	3
8	उधमसिंहनगर	10	3	3	4
9	नैनीताल	09	3	3	3
10	अल्मोड़ा	11	4	4	3
11	बागेश्वर	03	1	1	1
12	चम्पावत	04	1	1	2
13	पिथौरागढ़	08	2	3	3
	योग	105	35	35	35

Scanned by CamScanner

इस रोटेशन प्रणाली से क्रमवार 03 वर्ष में राज्य की समस्त बाल विकास परियोजनाओं से श्रेष्ठ आंगनबाड़ी कर्मियों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा सकेगा।

(4) **पुरस्कार के चयन हेतु मानकः**– पुरस्कार के चयन हेतु मानक **संलग्नक–1** में निर्धारित किये गये हैं जिनके आधार पर आवेदित अभ्यर्थियों में से पात्र अभ्यर्थी का चयन किया जायेगा। ऑनलाइन आवेदन चयन के मानक से सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न/अपलोड करने होगें, तथा निर्धारित मानकों का सत्यापन निर्दिष्ट किये गये सुपरवाइजर से प्रमाणित एवं सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी से सत्यापित करवाना अनिवार्य होगा।

(5) **पुरस्कार की धनराशि का विवरणः**–पुरस्कार हेतु आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित धनराशि ऑनलाइन पेमन्ट के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेगी साथ ही प्रमाण पत्र भी दिया जायेगा।

(6) **चयन की प्रक्रियाः**–आंगनवाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार हेतु चयन की प्रकिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती है–

1. प्रत्येक वित्तीय वर्ष (माह अप्रैल से जून तक) में पूर्व वर्ष में किये गये उत्कृष्ट कार्यो हेतु आंगनबाड़ी कर्मियो (आंगनवाड़ी कार्यकर्ती/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती) को आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार हेतु चयनित करने के लिये विज्ञप्ति प्रकाशित कर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जायेगे।
2. आवेदन ऑनलाईन मोड पर आमंत्रित किये जाएगें, जिसमें प्रस्तर संख्या–3 में निर्धारित अर्हतायें पूर्ण करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ती/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा ही आवेदन किया जायेगा। निर्धारित तिथि तक आवेदन ऑनलाइन मोड पर ही किये जाने होगे।
3. ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों की बाल विकास परियोजना अधिकारी के स्तर Approve करते हुए आवेदन पत्र ऑनलाइन मोड पर ही जिला कार्यक्रम अधिकारी को प्राप्त होगे। जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा पात्र अभ्यर्थियों का तुलनात्मक चार्ट आवेदन पत्र सहित जिला स्तरीय चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेगें।
4. जनपद में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रत्येक परियोजना से वरीयता क्रम के अनुसार अधिकतम 03 नामों की संस्तुति की जाएगी। जिला स्तरीय समिति यदि आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों को प्रस्तुतीकरण हेतु भी आमंत्रित कर सकते हैं। प्रस्तुतीकरण में कार्यकर्ती को एक संक्षिप्त वक्तव्य देने को कहा जाएगा जिसमें वह अपने अभ्यर्थन के समर्थन में अभिलेख प्रस्तुत कर सकेगी।
5. जनपद स्तर से संस्तुतियों की सूची जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा निदेशक महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग को ऑनलाइन मोड पर ही प्रेषित की जायेगी।
6. जनपद स्तरीय चयन समिति द्वारा संस्तुत की गई सूची के आधार पर राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा पात्र अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।
7. ऑनलाइन मोड पर आवेदन एवं उनके प्रबन्धन आदि की प्रकिया निदेशक, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा अलग से निर्धारित की जा सकती है।

Scanned by CamScanner

(7) पुरस्कारों का निर्धारण करते समय जनपद स्तरीय/राज्य समिति द्वारा निम्न सिद्धान्तों का अनुपालन किया जाएगाः–

1. उपलब्धि का आंकलन पिछले वित्तीय वर्ष में किये गये कार्यों एवं उपलब्धियों के आधार पर किया जायेगा।
2. चयन हेतु निर्धारित किये गये मानको के अधीन उपलब्धियों को गुणात्मक एवं संख्यात्मक दोनों स्तरों पर देखा जाएगा।

(8) पुरस्कार का वितरण– यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 08 अगस्त को वीरांगना तीलू रौतेली के जन्म दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह आयोजित कर वितरित किये जायेगों। राज्य पुरस्कारों हेतु नामांकित कार्यकर्तियों की सूची में से आवश्यकता अनुसार नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु भेजे जाएगें। राज्य पुरस्कार प्राप्त कार्यकर्तियों में से राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु नामांकन करने के लिए राज्य स्तरीय समिति स्वतन्त्र होगी।

राज्य स्तरीय समिति की संस्तुति के उपरान्त संस्तुत नामों पर मा0 विभागीय मंत्री जी के माध्यम से मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए उपर्युक्त उल्लिखित दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

(हरि चन्द्र सेमवाल)
सचिव।

संख्या– 1063 (1)/XVII/2022-05(01)2022 तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्ययक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा0 विभागीय मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. निजी सचिव, सचिव/अपर सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. उप सचिव/अनु सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ एवं गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
12. मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
13. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
15. गार्ड फाईल।

(हरि चन्द्र सेमवाल)
सचिव।

Scanned by CamScanner